UPCH010016202026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–699 / 2026

सुधाकर सिंह पुत्र स्व0 मनोज कुमार निवासी मोहनपुर मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

.....आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन

मु0अ0सं0–208 / 2026
धारा– 303(2), 317(2) बी0एन0एस0
(पुरानी धारा 379, 411 भा0दं0सं0)
थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

20.07.2026 **निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र**

1. आवेदक / अभियुक्त सुधाकर सिंह की ओर से मु0अ0सं0– 208 / 2026 धारा–303(2), 317(2) बी0एन0एस0 (पुरानी धारा 379, 411 भा0दं0सं0) थाना मऊ जनपद चित्रकूट में जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदनपत्र शपथपत्र 4ख से समर्थित है जिसके प्रस्तर 04 में प्रथम जमानत आवेदनपत्र होने का उल्लेख है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनानुसार अभियोजन का केस है कि वादी मुकदमा अवसेरी की ओर से दिनॉक 19.06.2026 को थाना मऊ जनपद चित्रकूट में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनॉक 18.06.2026 की रात्रि को लगभग 01 से 02 बजे के मध्य उसके रिक्शे की बैट्री चोरी हो गयी। उसका रिक्शा दरवाजे पर खड़ा रहता था तथा अज्ञात लोग उसके रिक्शे की पॉच बैट्री खोलकर ले गये।

3. आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे रंजिशन झूठा फॅसाया गया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है तथा उसे विवेचना के मध्यान्तर मुल्जिम बनाया गया है। अभियुक्त के द्वारा कोई चोरी की घटना कारित नहीं की गयी है।

Digitally signed by SHESH MANI SHUKLA
Date: 2026.07.20 18:39:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसके पास से कोई चोरी की बैट्री बरामद नहीं हुई है और न ही अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनॉक 20.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त शातिर चोर है। आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्त पुष्पराज द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी है तथा चोरी की बैट्री की बरामदगी भी हुई है।

5. मैने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनॉक 18.06.2026 की रात्रि को लगभग 01 से 02 बजे के मध्य वादी का रिक्शा जो उसके दरवाजे पर खड़ा था, उसकी पॉचों बैट्री अज्ञात लोगों द्वारा खोलकर ले जाना कहा गया है। फर्द बरामदगी के अनुसार दिनॉक 20.06.2026 को आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्त पुष्पराज को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उनके कब्जे से सात अदद चोरी की बैट्रियों की बरामदगी बतायी गयी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। आक्षेपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। सहअभियुक्त पुष्पराज की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर बगैर विचार व्यक्त किये न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है एवं आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सुधाकर सिंह की ओर से मु0अ0सं0–208/2026 धारा–303(2), 317(2) बी0एन0एस0 (पुरानी धारा 379, 411 भा0दं0सं0) थाना मऊ जनपद चित्रकूट में प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार मु0

50,000/—रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक जमानत व इस आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि 1. आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा। 2. आरोप विरचित किये जाते समय एवं धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के बयान अंकित किये जाते समय आवेदक/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित रहेगा,दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 20.07.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
जे0ओ0कोड सं0—यू0पी05751